भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1422
दिनांक 11.02.2020/22 माघ, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

संचार सेवाओं को बंद करना

†1422. श्री रितेश पाण्डेयः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में संचार सेवाओं को बंद करने के कारण लोगों को हुई संभावित असुविधाओं का आकलन करने के लिए वहां संचार सेवाओं को बंद करने के बाद संबंधित अधिकारियों के साथ परामर्श किया है और इन असुविधाओं को किस प्रकार कम किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लोगों की निम्नलिखित समस्याओं को किस प्रकार कम किया गयाः

(i) आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न होना;

(ii) बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच न होना;

(iii) सेवाओं के लिए बिल का भुगतान न कर पाना;

(iv) विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्तियों, परीक्षा के लिए आवेदन न कर पाना;

(v) कश्मीर से बाहर पढ़ रहे विद्यार्थियों के पास पैसे समाप्त हो जाना क्योंकि उनके माता-पिता उन्हें पैसे नहीं भेज पा रहे थे,

(vi) व्यवसायियों द्वारा ऑनलाइन व्यवसाय नहीं कर पाना और अपने ऋणदाताओं आदि को भुगतान न कर पाना; और

(ग) यदि कोई परामर्श नहीं किया गया, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (ग): संसद ने अनुच्छेद 370 के संबंध में कुछ प्रमुख निर्णय लिए थे, जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 35क आदि जैसी सभी संवैधानिक अस्पष्टताएं दूर हो गई हैं तथा पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य का जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्गठन किए जाने से भारत के संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो गए हैं।

सीमा पार से सक्रिय रूप में समर्थित की जा रही जम्मू और कश्मीर की आतंकवादी हिंसा के पिछले इतिहास को ध्यान में रखते हुए, जम्मू और कश्मीर सरकार के संबंधित प्राधिकारी, जो देश के विभिन्न कानूनों के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रतिबंध लगाने में सक्षम हैं, ने संचार सेवाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं ताकि आतंकी गतिविधियों को फैलाने के लिए इंटरनेट के दुरुपयोग, राज्य की सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था के लिए हानिकारक गतिविधियों के तालमेल, झूठी खबरों और अफवाहों के प्रचार-प्रसार, सामान्य जनता को उकसाने के लिए भड़काऊ साम्रगी फैलाने आदि के मद्देनजर मानव जीवन और सम्पत्ति की क्षति को रोका जा सके तथा कानून और व्यवस्था को बनाए रखा जा सके।

जम्मू और कश्मीर सरकार के संबंधित प्राधिकारी, जमीनी हालात के आधार पर ऐसे प्रतिबंधों को हटाने/लगाने के संबंध में नियमित समीक्षा करते हैं।

इस समय, पोस्ट-पेड और प्री-पेड मोबाइल दोनों सेवाओं पर वॉइस कॉलिंग एवं एसएमएस सुविधा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। फिक्स लाइन के माध्यम से मोबाइल डाटा सेवाओं और इंटरनेट सुविधा को भी कुछ प्रतिबंधों के साथ बहाल किया गया है।

सरकारी कार्यालय और अस्पताल आदि समेत सभी अन्य उपयोगी सेवाएं आम जनता के लिए पूरी तरह उपलब्ध हैं।

जम्मू और कश्मीर के लोगों की इस प्रकार की संचार आवश्यकताओं के लिए इंटरनेट सुविधाओं के साथ 1,144 टर्मिनलों, 74 विशेष काउंटरों, ई-कियोस्क आदि की स्थापना भी की गई है।

****